सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 525 राँची, मंगलवार, 13 अगस्त, 2024 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

31 जुलाई, 2024

संख्या- परि०आ०(कर माफी)-120/2020-1067--झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-15 की उपधारा-(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा कर-प्रमादी (Tax Defaulter) झारखण्ड राज्य में निबंधित सभी प्रकार के वाहनों के वाहन स्वामियों को One time settlement के रूप में अर्थदण्ड माफ करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाती है :-

(i) सभी प्रकार के निबंधित वाहन, जो अधिसूचना की निर्गमन की तिथि तक कर-प्रमादी (Tax Defaulter) है, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 180 दिन के भीतर की अवधि में, बकाया पथकर के अतिरिक्त 50% अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर उस वाहन पर देय अर्थदण्ड, जो भी होगा, की माफी करने एवं उक्त वाहन को विनियमित किया जाएगा ।

(ii) नीलामपत्र-वाद के बकायेदार वाहन स्वामी को भी उपरोक्त अर्थदण्ड माफी का लाभ देने एवं उक्त वाहन के विरूद्ध दायर नीलामपत्र वाद विभाग द्वारा वापस ले लिया जाएगा ।

(iii) वैसे वाहन स्वामी, जो इस योजना का लाभ नहीं उठायेंगे, उन्हें झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 एवं झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 2001 के प्रावधानों के अनुसार वर्त्तमान प्रचलित दर पर कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा ।

2. उपरोक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-19.06.2024 को मद संख्या-07 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सचिव
परिवहन विभाग ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 525 - 50